

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायतीराज, उ०प्र०।

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/
आहरण-वितरण अधिकारी,

सहारनपुर, मथुरा, मैनपुरी, मुरादाबाद, कानपुर नगर, प्रयागराज, जौनपुर, गोरखपुर, उन्नाव, रायबरेली,
सीतापुर, खीरी, बाराबंकी, ललितपुर, सोनभद्र, महाराजगंज, महोबा, सन्तकबीरनगर तथा सम्भल।

संख्या-1/597/2019-1/02/2019 : लखनऊ: दिनांक 14 फरवरी, 2020

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम -101-पंचायती राज-03-जिला पंचायत प्रशासन की मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक विशेष सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-13/2019/793/33-3-2019-100(3)/2017 दिनांक 08.04.2019 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-14 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि से अपर मुख्य सचिव, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 उ०प्र० शासन के पत्र सं०-5/2019/वे०आ०-2-245/दस-2019-04(एम)/2016 दिनांक 03.06.2019 के अन्तर्गत मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार रू०-58,10,000/- (रू० अट्ठावन लाख दस हजार मात्र) धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-4/2018/आर०जी०-1021/दस/2018-मित०-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-03-जिला पंचायत प्रशासन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
9. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
10. बी०एम०-4 पर बने सभी कॉलम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

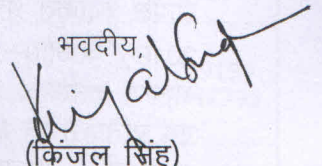
आवंटन

अनुदान सं०-14

तेरह अंको का कोड-2515001010300

11. यदि बी0एम0-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।
12. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
13. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
14. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
15. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे-
 1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 2. वर्ष 2019-20 में समर्पण यदि कोई हो तो उसकी सूचना दिनांक 20.02.2020 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

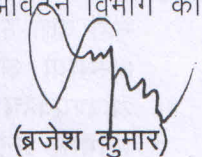
प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-03 पर अंकित है।
संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

 (किंजल सिंह)
 निदेशक,
 पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/597/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0-2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


 (ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
 पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-14/02/2020

प्रेषण संख्या:- 1-597-2019-01-02-2019
आवंटन आदेश संख्या:- 009-1-02-2019

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज
03 - जिला पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-महगाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	06-अन्य भत्ते	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	49-चिकित्सा व्यय	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	55-मकान किराया भत्ता	56-नगर प्रतिकर भत्ता	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	146621 5559274	109943 862319	0 20000	0 0	0 11209	0 20000	0 0	0 417416	17540 445370	1680 41880	275784 7377468
2	मथुरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	22398 4090746	146057 628709	0 20000	0 0	0 9156	0 20000	0 0	0 255797	0 194080	0 18480	168455 5236968
3	मैनपुरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	800836 5802636	118748 832891	0 20000	0 30000	0 10411	0 20000	0 31646	94784 417284	2980 180750	0 20822	1017348 7366440
4	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	136698 6027412	9092 1006657	0 20000	0 0	0 12963	0 20000	0 0	0 470300	9831 325971	748 42028	156369 7925331
5	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	328949 4589733	143502 725499	0 15000	0 0	0 9882	0 20000	0 0	0 260616	30240 344636	0 82590	502691 6047956
6	प्रयागराज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	399800 4819470	249521 787854	0 20000	52000 100000	0 12896	0 20000	0 160757	0 441858	190514 405620	26845 52040	918680 6820495
7	जौनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 5016400	0 1139772	0 20000	0 0	0 10268	0 50000	148538 148538	126816 486816	0 190520	0 27800	275354 7090114
8	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 4089900	0 490060	0 20000	0 0	0 11314	0 20000	73380 350320	0 295674	0 381900	0 29560	73380 5688728
9	उन्नाव-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	282880 4201280	0 678760	0 5000	0 0	0 9676	0 20000	0 0	0 397525	0 269640	0 39100	282880 5620981
10	रायबरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 6001444	0 835415	0 10000	0 0	0 14010	53500 73500	0 0	184203 397856	0 239228	0 28020	237703 7599473
11	सीतापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 5186850	0 723656	0 10000	0 0	0 12866	0 20000	6089 39169	45355 495355	0 219703	0 25733	51444 6733332

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	06-अन्य भत्ते	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	49-चिकित्सा व्यय	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	55-मकान किराया भत्ता	56-नगर प्रतिकर भत्ता	योग
12	लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	388146 6722619	191882 939925	0 20000	0 45000	4481 19020	0 50000	0 70016	0 534518	0 331664	0 37824	584509 8770586
13	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	269264 3737703	12810 574906	0 5000	0 0	0 9509	0 20000	0 0	0 410000	0 162375	0 19019	282074 4938512
14	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	3376 3034252	56370 437124	0 20000	0 0	0 8046	0 20000	0 19020	0 276574	0 137394	0 16093	59746 3968503
15	सोनभद्र-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 3736051	0 498323	0 20000	0 0	0 8725	0 20000	177917 177917	0 285567	0 152790	0 17556	177917 4916929
16	महाराजगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 3431032	0 408408	0 20000	0 0	0 6689	0 20000	0 0	126576 610067	0 143320	0 15960	126576 4655476
17	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 2589000	25845 336525	10000 30000	0 0	0 7743	10000 30000	0 0	0 550000	0 132216	0 15486	45845 3690970
18	संत कबीर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	195740 2887140	12954 405282	0 20000	0 0	0 6917	0 20000	0 14546	0 258693	0 118111	500 17110	209194 3747799
19	सम्बल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	286824 1616624	65807 225383	0 20000	0 0	0 3628	0 20000	0 0	0 223850	11420 75880	0 9952	364051 2195317
	योग	वर्तमान प्रगामी	3261532 83139566	1142531 12537468	10000 335000	52000 175000	4481 194928	63500 503500	405924 1011929	577734 7485766	262525 4451168	29773 557053	5810000 110391378

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अट्ठावन लाख दस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ तीन लाख इकानवे हजार तीन सौ अठहत्तर

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी